

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिर्मंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 512 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 अगस्त 2008—श्रावण 29, शक 1930

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2008

आदेश

क्र. एफ-1-12-08-सात-शा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 20 अगस्त 2008 से जबलपुर जिले की जबलपुर तहसील की सीमाएं, उसमें से रा.नि.मं. 1 पनागर (प.ह.नं. 01 से 13) एवं रा.नि.मं. 2 महाराजपुर (प.ह.नं. 14 से 24) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से जैसा ऊपर वर्णित कुल प.ह. 24 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील पनागर का सृजन करती है. इसमें कुल 220 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय पनागर में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एल. एन. सोनी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2008

पू. क्र. एफ-1-12-08-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-12-08-सात-शा-6, दिनांक 20 अगस्त 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एल. एन. सोनी, उपसचिव.

Bhopal, the 20th August 2008

ORDER

No. F-1-12-08-VII-S-6.—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limit of Tehsil JABALPUR of District JABALPUR with effect from 20th August 2008 by excluding there from R.I. Circle 1 PANAGAR (Patwari halka 01 to 13) and R.I. Circle 2. MAHARAJPUR (P. H. No. 14 to 24) from Tehsil JABALPUR and creat

a new Tehsil PANAGAR comprising of the Patwari halka 24 with as mentioned above with effect from the said date. In which the total Villages shall be 220. The headquarter of the said Tehsil shall be at PANAGAR.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
L. N. SONI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2008

आदेश

क्र. एफ-1-27-08-सात-शा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 20 अगस्त 2008 से टीकमगढ़ जिले की निवाड़ी तहसील की सीमाएं, उसमें से रा.नि.मं. 3 ओरछा (प.ह.नं. 57 से 75) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से जैसा ऊपर वर्णित कुल प.ह. 19 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील ओरछा का सृजन करती है. इसमें कुल 45 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय ओरछा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2008

पू. क्र. एफ-1-27-08-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-27-08-सात-शा-6, दिनांक 20 अगस्त 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

Bhopal, the 20th August 2008

ORDER

No. F-1-27-08-VII-S-6.—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limit of Tehsil NIVARI of District TIKAMGARH with effect from 20th August 2008 by excluding there from R.I. Circle 3 ORCHHA (Patwari halka 57 to 75) from Tehsil NIVARI and create a New Tehsil ORCHHA comprising of the Patwari halka 19 with as mentioned above with effect from the said date. In which the total Villages shall be 45. The headquarter of the said Tehsil shall be at ORCHHA.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
L. N. SONI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2008

आदेश

क्र. एफ-1-25-08-सात-शा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 20 अगस्त 2008 से टीकमगढ़ जिले की बल्देवगढ़ तहसील की सीमाएं, उसमें से रा.नि.मं. 2 खरगापुर के (प.ह.नं. 19 से 36) एवं रा.नि.मं. 3 कुडीला के (प.ह.नं. 37 से 41) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से जैसा ऊपर वर्णित कुल प.ह. 23 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील खरगापुर का सृजन करती है. इसमें कुल 67 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय खरगापुर में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2008

पु. क्र. एफ-1-25-08-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-25-08-सात-शा-6, दिनांक 20 अगस्त 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

Bhopal, the 20th August 2008

## ORDER

No. F-1-25-08-VII-S-6.—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limit of Tehsil BALDEVGARH of District TIKAMGARH with effect from 20th August 2008 by excluding there from R.I. Circle 2 KHARGAPUR (Patwari halka 19 to 36) & R.I. Circle KUDILA (Patwari halka No. 37 to 41) from Tehsil BALDEVGARH and create a new Tehsil KHARGAPUR comprising of the Patwari halka 23 with as mentioned above with effect from the said date. In which the total Villages shall be 67. The headquarter of the said Tehsil shall be at KHARGAPUR.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
L. N. SONI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2008

## आदेश

क्र. एफ-1-65-05-सात-शा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 20 अगस्त 2008 से रीवा जिले की सिरमौर तहसील को सीमाएं, उसमें से रा.नि.मं. 1 सेमरिया (प.ह.नं. 01 से 18) एवं रा.नि.मं. शाहपुर के (प.ह.नं. 19 से 27) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से जैसा ऊपर वर्णित कुल प.ह. 27 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील सेमरिया का सृजन करती है. इसमें कुल 189 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय सेमरिया में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2008

पु. क्र. एफ-1-65-05-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-65-05-सात-शा-6, दिनांक 20 अगस्त 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

Bhopal, the 20th August 2008

## ORDER

No. F-1-65-05-VII-S-6.—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limit of Tehsil SIRMAUR of District REWA with effect from 20th August 2008 by excluding there from R.I. Circle 1 SEMARIA (Patwari halka 01 to 18) & R.I. Circle 2 SHAHPUR (Patwari halka No. 19 to 27) from Tehsil SIRMAUR and create a New Tehsil SEMARIA comprising of the Patwari halka 27 with as mentioned above with effect from the said date. In which the total Villages shall be 189. The headquarter of the said Tehsil shall be at SEMARIA.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
L. N. SONI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2008

## आदेश

क्र. एफ-1-26-08-सात-शा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 20 अगस्त 2008 से गुना जिले की राधोगढ़ तहसील की सीमाएं, उसमें से रा.नि.मं. मकसूदनगढ़ (प.ह.नं. 16 से 35) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से जैसा ऊपर वर्णित कुल प.ह. 18 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील मकसूदनगढ़ का सृजन करती है. इसमें कुल 183 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय मकसूदनगढ़ में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2008

पू. क्र. एफ-1-26-08-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-26-08-सात-शा-6, दिनांक 20 अगस्त 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

Bhopal, the 20th August 2008

## ORDER

No. F-1-26-08-VII-S-6.—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limit of Tehsil RAGHOGARH of District GUNA with effect from 20th August 2008 by excluding there from R.I. Circle MAKSOODANGARH (Patwari halka 16 to 35) from Tehsil RAGHOGARH and create a New Tehsil MAKSOODANGARH comprising of the Patwari halka 18 with as mentioned above with effect from the said date. In which the total Villages shall be 183. The headquarter of the said Tehsil shall be at MAKSOODANGARH.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
L. N. SONI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2008

## आदेश

क्र. एफ-1-36-08-सात-शा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 20 अगस्त 2008 से छिन्दवाड़ा जिले की छिन्दवाड़ा तहसील की सीमाएं, उसमें से रा.नि.मं. 3 इकलबिहरी के (प.ह.नं. 44 से 59) एवं रा.नि.मं. 1 सांवरी के (प.ह.नं. 01 से 15) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से जैसा ऊपर वर्णित कुल प.ह. 31 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील मोहखेड़ का सृजन करती है. इसमें कुल 172 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय मोहखेड़ में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2008

पू. क्र. एफ-1-36-08-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-36-08-सात-शा-6, दिनांक 20 अगस्त 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

Bhopal, the 20th August 2008

## ORDER

No. F-1-36-08-VII-S-6.—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limit of Tehsil CHHINDWARA of District CHHINDWARA with effect from 20th August 2008 by excluding there from R.I. Circle 3 IKALBIHAREE (Patwari halka 44 to 59) and R.I. Circle 1 SANVARI (Patwari halka No. 01 to 15) from Tehsil CHHINDWARA and create a New Tehsil MOHKHED comprising of the Patwari halka 31 with as mentioned above with effect from the said date. In which the total Villages shall be 172. The headquarter of the said Tehsil shall be at MOHKHED.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
L. N. SONI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2008

## आदेश

क्र. एफ-1-28-08-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 20 अगस्त 2008 से देवास जिले की कन्नौद तहसील की सीमाएँ, उसमें से रा.नि.मं. 2 सतवास (प.ह.नं. 14 से 23 एवं 28 से 35) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से जैसा ऊपर वर्णित कुल प.ह. 18 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील सतवास का सृजन करती है. इसमें कुल 120 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय सतवास में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2008

पू. क्र. एफ-1-28-08-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-28-08-सात-शा-6, दिनांक 20 अगस्त 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

Bhopal, the 20th August 2008

## ORDER

No. F-1-28-08-VII-S-6.—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limit of Tehsil KANNAUD of District DEWAS with effect from 20th August 2008 by excluding there from R.I. Circle 2 SATWAS (Patwari halka 14 to 23 & 28 to 35) from Tehsil KANNAUD and create a New Tehsil SATWAS comprising of the Patwari halka 18 with as mentioned above with effect from the said date. In which the total Villages shall be 120. The headquarter of the said Tehsil shall be at SATWAS.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
L. N. SONI, Dy. Secy.